सेवा में –

माननीय अध्यक्ष महोदय
मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण
मुख्य ब्रांच नई दिल्ली भारत

विषय – ओ0ए0 संख्या 439/2024 सम्पूर्णा नन्द बनाम शीतला स्टोन के सम्बंध में–

महोदय्–

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी सम्पूर्णा नन्द पुत्र श्री कल्लू राम, ग्राम– भगौती देई पो0– पटिहटा, त0– चुनार जनपद– मिर्जापुर उ0प्र0 का मूलनिवासी है तथा ओ0ए0 संख्या उपरोक्त में आवेदक/पेटिशनर है।

महोदय उपरोक्त ओ0ए0 में प्रश्नगत खनन पट्टे का निरीक्षण संयुक्त जॉच समिति ने जितनी भी बार किया है पाया है कि यह खनन पट्टा नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रहा है और सीटीओ सीटीई में दिए गए शर्तो का अनुपालन नहीं कर रहा है। जिसके कारण लगातार पर्यावरणीय क्षति हो रही है जिस पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर इस खनन पट्टे को दिनांक 19/02/2024 के पत्र संदर्भ सं0–एच07162 के माध्यम से बंदी आदेश जारी कर दिया गया था साथ ही दिनांक 06/03/2024 को स्थलीय निरीक्षण कर सभी कार्य बंद कराते हुए खनन पट्टे को क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उ0प्र0 सोनभद्र के द्वारा सील कर दिया गया था ऐसा इनके द्वारा माननीय एनजीटी में भी बताया जा चुका है जबकि वास्तविकता यह है कि बंदी आदेश के बाद भी शीलता स्टोन संचालित था और यहां पर अवैध रुप से विस्फोटकों का भी प्रयोग किया जा रहा था देखें संलग्नक – 1 व 2 जबकि 4–5 मई 2024 को सबसे बाद में जो संयुक्त जॉच समिति ने जॉच किया है उसने भी पाया है कि इस खनन पट्टे में भारी खामिया है जिसके द्वारा सीटीई के शर्तो को नहीं पुरा किया जा रहा है न हीं सीटीओं के शर्तो का पालन किया जा रहा है ऐसे में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र उ0प्र0 का यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है जिसमें उक्त इकाई को शर्तो के साथ संचालन करने की संस्तुति की गई है। क्योंकि जब इनके द्वारा इतने दिनों में शर्तो को पुरा नहीं किया जा सका है तो अब कैसे पुरा कर लेंगें ऐसे में माननीय एनजीटी से आग्रह है कि जब तक शर्तो को पुरा नही किया जाता है किसी भी इकाई के संचालन पर रोक जारी रखा जाए। साथ ही अनुपालन की स्थिति जॉच करने वाली समिति यह भी सुनिश्चित करें कि जॉच के समय आवेदक की भी उपस्थिति हो और हो सके तो गॉव के लोगों की भी उपस्थिति सुनिश्चित किया जाय। **सबसे विशेष ग्रीन बेल्ट तैयार नहीं की गई है इनके द्वारा अभी तक । महोदय ऐसा इसलिए है कि शीतला स्टोन खनन पट्टे के साथ ही क्षेत्र में संचालित किसी भी खनन पट्टे और स्टोन केशर प्लांटों द्वारा सीटीओ सीटीई में उल्लेखित शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**

सोनभद्र उ0प्र0 बिना किसी अनुपालन के ही कुछ केशर प्लांटों और खनन पट्टों में शर्तो के अनुपालन स्थिति को सही दिखाते हुए उन्हे संचालित करने की संस्तुति की गई जबकि किसी भी खनन पट्टे या स्टोन केशर प्लांट को उसी शर्तों का अनुपालन दिखाया गया है जो स्थाई नहीं है अर्थात जिन्हें कभी भी चालू या बंद किया जा सकता है जो स्थाई है उसे नहीं दिखा रहे हैं जैसे ग्रीन बेल्ट, पीलर आदि इससे स्पष्ट है कि यहॉ के क्षेत्रीय अधिकारी और खनन पट्टे व स्टोन केशर प्लांट संचालकों के बीच मिलीभगत से सभी का संचालन नियम विरुद्ध हो रहा है।

प्रार्थना— श्रीमान जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि ओ0ए0 सं0 439/2024 सम्पूर्णा नन्द बनाम शीतला स्टोन में जो संचालन की संस्तुति क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र उ0प्र0 श्री उमेश गुप्ता जी के द्वारा किया जा रहा है इस पर तत्काल रोक लगाते हुए इसकी जॉच एक केन्द्रीय संयुक्त समिति द्वारा किसी न्यायिक सदस्य के उपस्थिति में करवाई जाए साथ ही जॉच के समय आवेदक और हो सके तो गॉव के लोगों की भी उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र उ0प्र0 श्री उमेश गुप्ता जी के भूमिका का भी जॉच कराया जाए की इनके द्वारा ऐसा क्यों और किस लिए किया जा रहा है। आपकी महान कृपा होगी।

प्रार्थी

Sampurnanand 11/8/24

सम्पूर्णा नन्द

दिनांक- 11/08/2024

ग्राम— भगौती देई पो0— पटिहटा
त0— चुनार, जनपद— मिर्जापुर
उ0प्र0 पिन—231304

संलग्नक-1
3 पृष्ठ में
①

ब्लास्टिंग के लिए होल काटते मजदूर

Chunar, Mirzapur, 231301, UP, India

Latitude	Longitude
25.051739°	82.991922°
Local 08:17:44 AM	Altitude 119.7 meters
GMT 02:47:44 AM	Sunday, 03/17/2024

दिनांक 17/3/24 को 8:17A पर संचालन

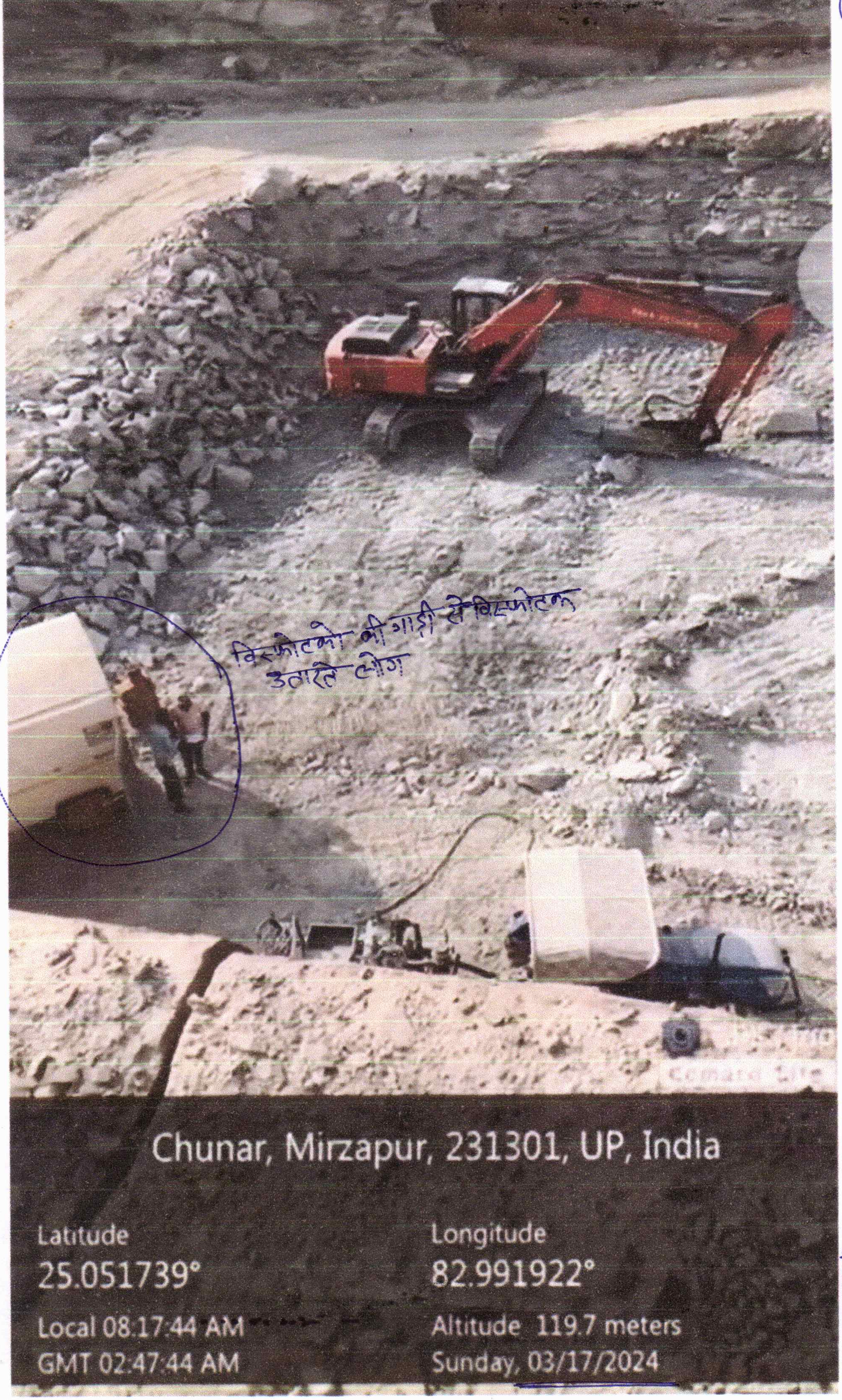

(2)

दिनांक
17/3/24
8:17AM

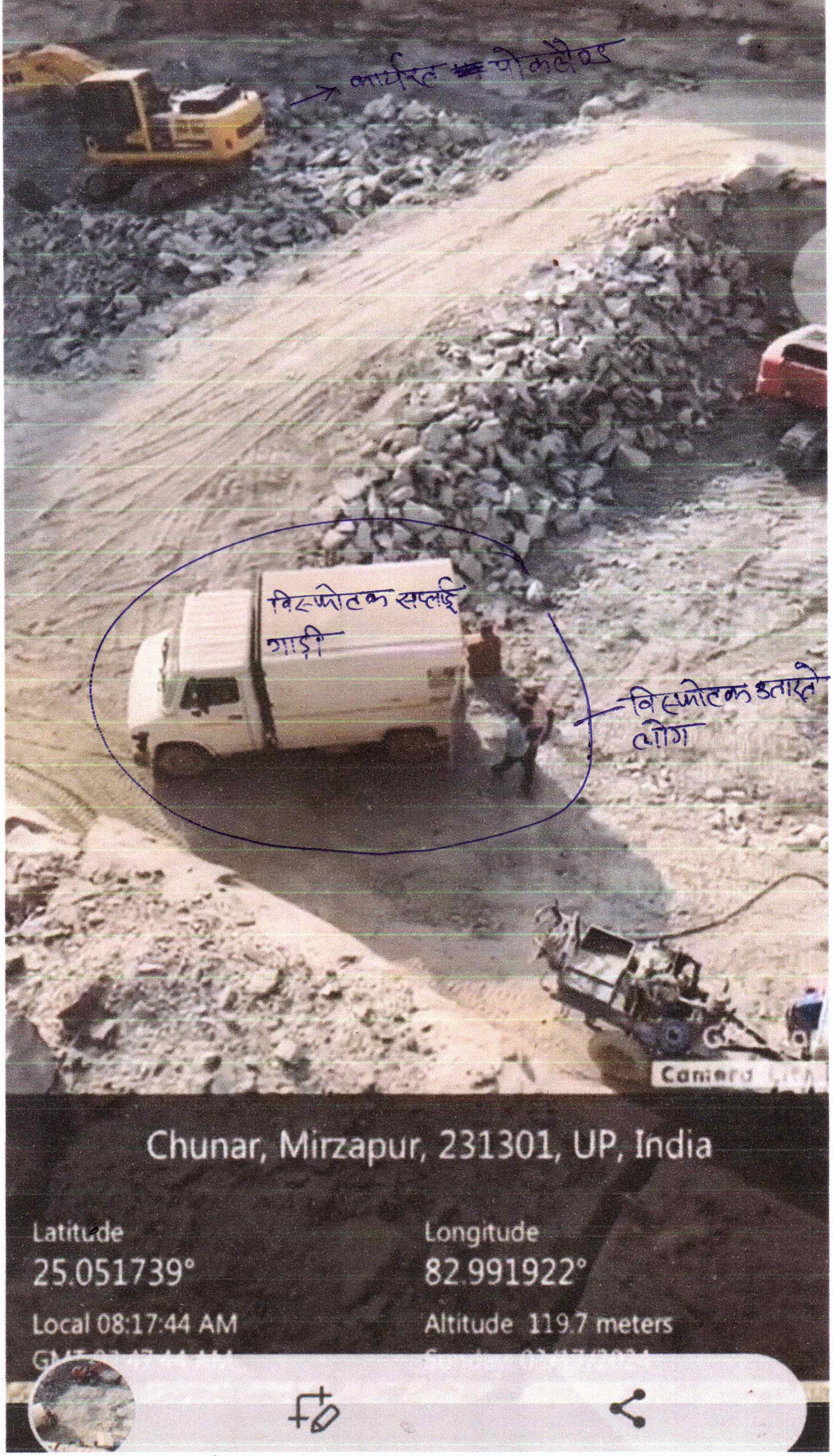
कार्यरत पोकलैण्ड
विस्फोटक सप्लाई गाड़ी
विस्फोटक उतारते लोग
Chunar, Mirzapur, 231301, UP, India
Latitude
25.051739°
Longitude
82.991922°
Local 08:17:44 AM
Altitude 119.7 meters

③

(1)

संलग्नक-2 दो पृष्ठ
दिनांक-18/03/2024 का संचालन
कार्यरत ट्रैक्टर
कार्यरत पोकलैंड
GPS Map Camera Lite
Chunar, Mirzapur, 231301, UP, India
Latitude
25.051435°
Local 08:50:34 AM
GMT 03:20:34 AM
Longitude
82.992405°
Altitude 117.9 meters
Monday, 03/18/2024

(2)

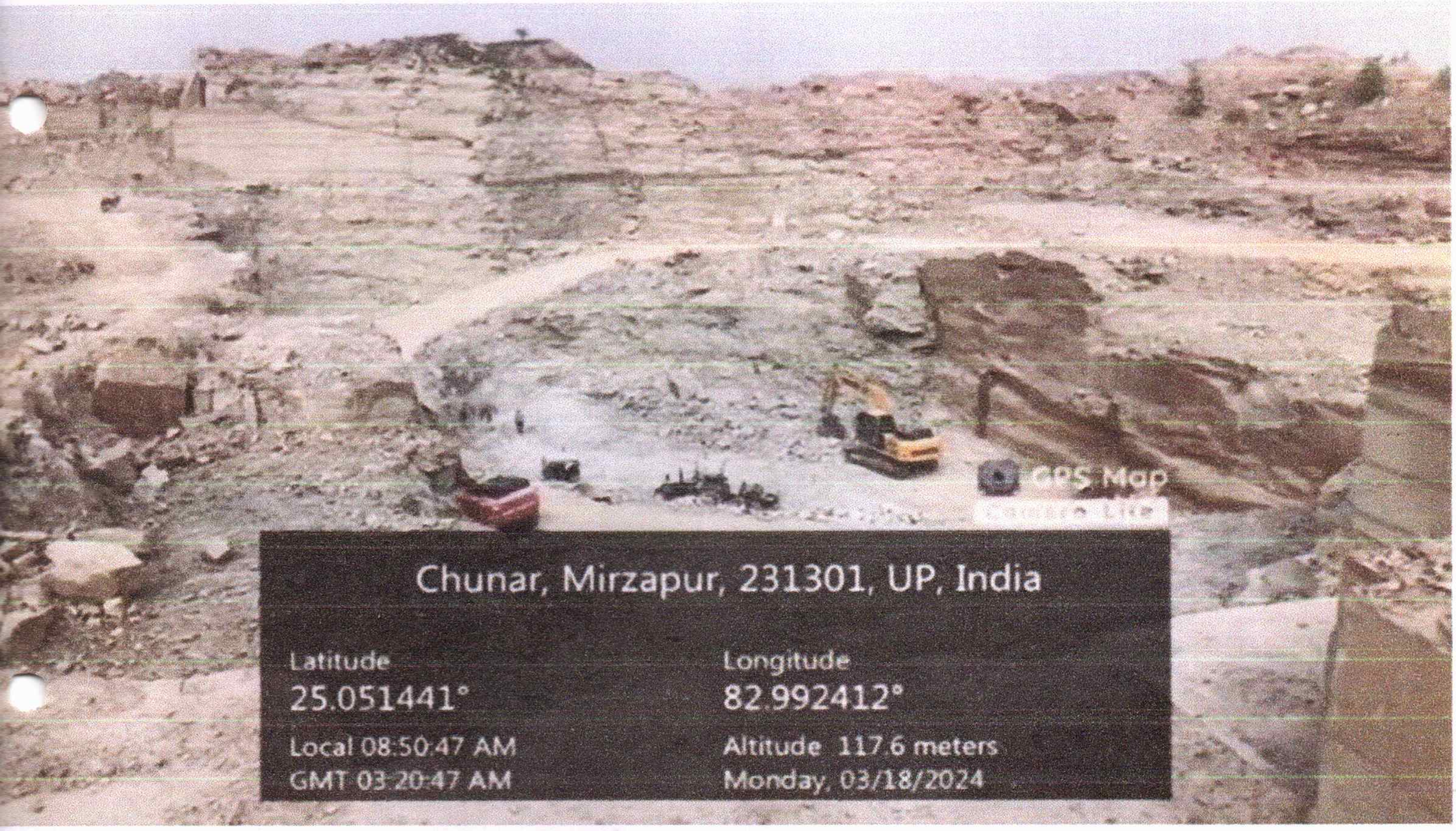
GPS Map
Camera Lite
Chunar, Mirzapur, 231301, UP, India
Latitude
25.051441°
Longitude
82.992412°
Local 08:50:47 AM
GMT 03:20:47 AM
Altitude 117.6 meters
Monday, 03/18/2024

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक No. H07162 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 दिनाँक Date .19.02.2024

सेवा में, **पंजीकृत**

मैसर्स मे0 माँ शीतला स्टोन, पा0 श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरित्तर सिंह, निवासी ग्राम–अदलपुरा, थाना व तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 1क, लीज एरिया 2 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे0 माँ शीतला स्टोन, पा0 श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरित्तर सिंह, निवासी ग्राम–अदलपुरा, थाना व तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर(गाटा सं0 1क, लीज एरिया 2 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नही किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानो का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मे0 माँ शीतला स्टोन, पा0 श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरित्तर सिंह, निवासी ग्राम–अदलपुरा, थाना व तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर** (गाटा सं0 1क, लीज एरिया 2 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com
Website : www.uppcb.com

9.	The proponent shall establish Effluent treatment system to treat the waste water from the mine.	NA
10.	The proponent shall submit the Ambient air quality monitoring report of impact zone/buffer zone and at the corners of mining lease on quarterly basis to the Board.	Non Complying
11.	If the lease agreement expires prior to 31-12-2027, then the validity of this CTO shall stand expired simultaneously with the expiry of mining lease.	Complying
12.	Mining shall be done as per EC issued by SEIAA and directions given by Mining Department/District Administration.	Partially Complying
13.	Unit shall develop and maintain green belt as per the conditions of Environmental Clearance.	Non Complying.
14.	Unit shall not withdrawal ground water for any industrial activity without obtaining necessary permission from UPGWA	Information not provided by PP.
15.	The domestic effluent shall be treated through septic tank/soak pit or provide mobile toilet facility. Industry shall maintain ZLD	Complying
16.	Unit shall make water sprinkling arrangement through Tankers for dust suppression at different sources of dust emission during mining, transportation, loading and unloading of Building Stone (Sand Stone).	Partially Complying
17.	Unit should operate and maintain installed water sprinkler system effectively and continuously to achieve the standards prescribed under E(P) Rules, 1986.	Non Complying
18.	Unit shall submit Ambient air monitoring reports of NABL accredited laboratory on quarterly basis to the Board.	Partially Complying
19.	All trucks, tractors used in transportation of Building Stone (Sand Stone) shall be covered by canvas sheet to prevent dust emission.	No mining activity was seen, so could not be verified.
20.	Water will be sprayed after loading activity, if Building Stone (Sand Stone) collected could be dry condition	No mining activity was seen, so could not be verified.